

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 10.6.25

क्रमांक रीडर/2025/5/37

प्रार्थी बनाम

अप्रार्थीगण

1 कमलाराम पुत्र  
हुकमाराम जाति  
मेघवाल निवासी  
बालेरा तहसील व  
जिला बाड़मेर।

1 ताजाराम पुत्र शेम्पुराम 2 प्रिन्स पुत्र वांकाराम नावालिग जरिये  
कुदरती वली माता श्रीमती गमता पत्नि वांकाराम जाति मेघवाल 3  
गोभीदेवी पत्नि राणसिंह 4 आसुसिंह 5 कानसिंह पिसरान नीम्बसिंह  
6 खेराजसिंह 7 छोगरसिंह पिसरान सगतसिंह 8 पीरसिंह पुत्र  
नीम्बसिंह 9 भाणा पुत्र रणजितसिंह 10 मिश्रीसिंह पुत्र सगतसिंह  
11 लांगोदेवी पत्नि नीम्बसिंह 12 सुजीदेवी पत्नि सगतसिंह जाति  
राजपुरोहित 13 छगनाराम पुत्र हुकमाराम 14 उगाराम पुत्र धारूराम  
15 बंतलीदेवी पत्नि धारूराम 16 स्वरूपाराम 17 साईराम पिसरान  
धारूराम 18 केकुदेवी पत्नि चेतनराम 19 कुटली पत्नि टीलाराम 20  
चांपाराम पुत्र पारूराम 21 जोगाराम पुत्र चिमनाराम 22 डाउराम  
पुत्र टीलाराम 23 ढेलीदेवी पत्नी टीलाराम 24 देवाराम 25  
नखताराम पिसरान उकरडाराम 26 नायकाराम पुत्र गजाराम 27  
फुलीदेवी पत्नी उकरडाराम 28 बाबुराम 29 भेराराम पिसरान  
उकरडाराम 30 भीखाराम पुत्र टीलाराम 31 मिश्रीराम पुत्र गजाराम  
32. लुणाराम पुत्र उकरडाराम 33 लुणाराम पुत्र चेतनराम 34  
हाजाराम पुत्र चिमनाराम 35 हाथीराम पुत्र गजाराम जाति मेघवाल  
36 हिन्दुसिंह पुत्र नगसिंह 37 अणछीदेवी पत्नी हिन्दूसिंह 38  
चैनसिंह पुत्र देरावरसिंह 39 तुलसीदेवी पत्नी हरलालसिंह 40  
दिनेश पुत्र देरावरसिंह 41 प्रकाशसिंह पुत्र हरलालसिंह 42  
मटकोदेवी पत्नी देरावरसिंह 43 रमेशसिंह पुत्र हरलालसिंह 44  
शैतानसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपुरोहित निवासीयान बालेरा  
तहसील व जिला बाड़मेर 45 तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 832/2024

दिनांक- 30/05/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बालेरा पटवार क्षेत्र बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर भूमि  
खसरा संख्या 404/110 रकबा 1.4002 हेक्टर व खसरा संख्या 409/111 रकबा 1.7482 हेक्टर,  
भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर  
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थी को  
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन  
व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर)  
कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक  
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
( वीरमा राम )


उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/5/38-5/4)

दिनांक- 10.6.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बालेरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपरिस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कमलाराम पुत्र हुकमाराम जाति मेघवाल निवासी बालेरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण ताजाराम पुत्र शेम्पुराम जाति मेघवाल निवासी निवासी बालेरा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर